समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राजस्व अपील प्र0क0 I/अपील/जबलपुर/भू.रा/2018/01213

मिहीलाल पिता स्व. लटोरा, आशाबाई
पिता स्व. लटोरा, करनसिंह पिता गोपाल भूमियां
हेमाबाई पिता करनसिंह, अजय भूमियां
पिता स्व. लटोरा
सभी निवासी ग्राम मोहास तह. बरगी
जिला जबलपुर म0प्र0 ---- अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1- रमाकांत राय पिता जगदीश प्रसाद राय
निवासी नई बस्ती कजरवारा
तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

2- शक्ति रजक पिता स्व.खुन्नालाल रजक
निवासी शिवपुरी कजरवारा
तहसील व जिला जबलपुर

3- म0 प्र0 शासन ---- प्रत्यर्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 44(3) म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 0601/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 07-12-17 के विरूद्ध.

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

तथ्य

1- यहकि अपीलार्थीगण आदिम जनजाति के सदस्य हैं । अपीलार्थीगण के भूमिस्वामित्व की भूमि ग्राम उमरिया प.ह.नं. 16, तिलेहरी रा.नि. मंडल जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर में स्थित है जिसका खसरा नं. 199/2 रकबा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/जबलपुर/भू0रा0/2018/01213 जिला -जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-2-18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 601/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 7-12-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी क्रं. 3 के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम उमरिया प0ह0नं0 16 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील एवं जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 199/2 रकबा 0.300 हैक्टर भूमि में से प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को 0.100 हैक्टर एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को 0.200 हैक्टर भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया। तदुपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 20-6-17 द्वारा अपीलार्थीगण का भूमि विक्रय की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 7-12-17 द्वारा निरस्त की । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अपर आयुक्त के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन पेश किया जो उन्होंने आदेश दिनांक 22-1-18 द्वारा अग्राहय किया है । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर ने मुख्य रूप से इस आधार पर आवेदन निरस्त किया है कि आलोच्य भूमि विक्रय के बाद उनके पास 0.770 हैक्टर भूमि शेष बचेगी। जिससे आदिवासी के परिवार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा तथा भूमि की कीमतें भविष्य में लगातार बढ़ेंगी । इस संबंध में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि आवेदित भूमि का रकबा बहुत कम है जिसके 5 भूमिस्वामी हैं इस कारण कृषि किया जाना संभव नहीं है इस तथ्य को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है उन्होंने यह भी कहा कि अपीलार्थीगण द्वारा अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व मण्डला जिले में 2.670 एवं 0.79 हैक्टर भूमि क्रय की गई है, जिससे उनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि शेष बचती है उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी उठाया था परंतु उक्त तथ्य को अपर आयुक्त ने अनदेखा कर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश न्यायिक प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि आवेदित भूमि का रकबा बहुत कम है और उसके 5 भूमिस्वामी हैं । विक्रय हेतु आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की नहीं है और चूंकि अपीलार्थीगण द्वारा मण्डला जिले में 2.670 एवं 0.79 हैक्टर भूमि क्रय कर ली गई है, जो विक्रय हेतु आवेदित भूमि से कहीं अधिक है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/जबलपुर/भू0रा0/2018/01213 जिला -जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अपीलार्थीगण को आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति न दिए जाने संबंधी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होते हैं । अत: प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण को उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम उमरिया प0ह0नं0 16 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील एवं जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 199/2 रकबा 0.300 हैक्टर भूमि में से प्रत्यर्थी क्रमांक 1 रमाकांत राय को 0.100 हैक्टर एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 2 शक्ति रजक को 0.200 हैक्टर भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थीगण के खाते में जमा की जायेगी । परिणामत: अपील स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशा0 सदस्य	